न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

शंकरलाल पुत्र खरताराम जाट वगैरह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 81 / 2026

अन्तर्गत धारा : – 131 व 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-4-26	प्रार्थीगण शंकरलाल पुत्र खरताराम जाट, छोटाराम पुत्र रावतराम मेघवाल एवं विकास पुत्र आईदानराम मेघवाल निवासीगण सालावास तहसील लूणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम सालावास के खसरा संख्या 296/2, 296/7, 296/3, व 296/5 की ऑनलाईन नक्शें में तरमीम शुद्धि करने का निवेदन किया है। तहसीलदार लूणी के पत्र कमांक भू.अ./2026/665 दिनांक 04.03.2026 व संशोधित रिपोर्ट भू.अ./2026/1434 दिनांक 20.04.2026 के द्वारा प्रार्थीगण शंकरलाल, विकास व आईदानराम मेघवाल के प्रार्थना पत्र के संबंध में तरमीम/नक्शा शुद्धिकरण बाबत जांच रिपोर्ट पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सालावास के खसरा नंबर 296/2 297/7 296/3 296/5 की ऑनलाईन तरमीम डीआईएलआरएमपी अन्तर्गत वन–टू वन खसरा मैपिंग के दौरान अशुद्ध दर्ज हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमियां ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा संख्या 296/2, 269/7, 296/3, व 296/5 की तरमीम वर्तमान राजस्व रैकर्ड में मौका एवं कब्जा–काश्त अनुसार नहीं है जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका कब्जा–काश्त अनुसार सही करने का निवेदन किया है। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट में मौका कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित बताया तथा संलग्न मौका फर्द अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने से अन्य पक्षकार प्रभावित नहीं है। प्रकरण के संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के अवलोकन व मनन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि मौका फर्द दिनांक 30.12.2025 में मौके स्थिति का अंकन किया गया है जिसके अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना प्रस्तावित किया गया है। पूर्व में वन टू वन मेपिंग के समय तरमीम दर्ज नहीं होने से एवं वन टू वन मैपिंग में मौके अनुसार वास्तविक कब्जे को ध्यान में रखते हुये तरमीम नहीं की गई। उक्त कारण से उक्त विसंगति उत्पन्न होना जाहिर है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। प्रस्तावित अनुसार ग्राम सालावास के खसरा नंबर 296, 296/1, 296/2 से 296/10, 296/12, 296/13 की ऑनलाईन दर्ज तरमीम की दुरूस्ती प्रस्तावित की गई है। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार उक्तानुसार दुरूस्ती में अन्य पक्षकार प्रभावित नहीं है। उक्त खसरान में कुछ खसरान राजकीय रास्ते के एवं एक खसरा 296/1 जे.डी.ए. के नाम दर्ज है। अतः निम्नांकित शर्तो के अधीन तरमीम शुद्धि के प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। तहसीलदार लूणी उक्त की पालना करते हुये नियमानुसार शुद्धि की कार्यवाही करे। 1. राजकीय/जेडीए के नाम दर्ज खसरों की तरमीम से राजकीय हित विपरित रूप से प्रभावित नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जावे। 2. जिन खसरों की तरमीम शुद्धि प्रस्तावित है, तरमीम शुद्धि से पूर्व सहमति सुनिश्चित की जावे। यह ध्यान रखा जावे कि किसी भी खातेदार का हित विपरित रूप से प्रभावित नहीं हो। हँसमुख कुमार उपखण्ड अधिकारी लूणी उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर)	